तारीख हुक्म		नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
09.04.26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फेरीकेन उपस्थित। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र का परिशीलन किया गया तथा बहस के तर्को पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पत्रावली मे तीनों बिन्दुओ का विश्लेषण किया गया। **प्रथम दृस्टया मामलाः–** प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा पूर्व में ही वादगत भूमि का बेचान किया जा चुका है। उक्त वादगत भूमि का बेचान अप्रार्थीगण 6 ता 9 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र किया पत्र किया गया है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार टीनेन्ट कब्जा काश्त है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है। **सुविधा का संतुलनः–** अप्रार्थीगण वादगत भूमि पर बतौर खातेदार कब्जा काश्त है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है। **अपूर्णीय क्षतिः–** अप्रार्थीगण वादगत भूमि में बतौर खातेदार है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होना नही पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल करवाया गया। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 09.04.26 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	